

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या
11/37/2018

प्रवेश तिथि
11-05-2018

निर्णय दिनांक
29-05-2019

- 1- घनश्याम पुत्र श्री हल्ली जाति चमार निवासी 3 एल एस सी शारदा चैम्बर के-ब्लॉक कालकाजी नई दिल्ली हाल निवासी जे एम डी मेगापोलिस टी एफ-1022, दसवीं मंजिल, सैक्टर 48 सोहना रोड़ गुडगावां हरियाणा-122001

—अपीलान्ट

बनाम

- 1- नगर विकास न्यास अलवर जरिये सचिव।
2- लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार, अलवर।
2- भूमि अवाप्ती अधिकारी, नगर विकास न्यास अलवर।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्ध आदेश तहसीलदार अलवर का निर्णय दिनांक
03.01.2013 नामान्तरण संख्या 363 ग्राम बेलाका तहसील व
जिला अलवर।

उपस्थित:-

01. श्री जगदीश चन्द सतीजा
02. श्री के0जी0 खण्डेलवाल



वकील अपीलान्ट
वकील रैस्पोडेन्ट 1,3

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार अलवर के आदेश दिनांक 03.01.2013 जिसके द्वारा नामान्तरण संख्या 363 ग्राम बेलाका तहसील व जिला अलवर बेजा तौर पर स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रैस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन इंतकाल में वर्णित आराजी पर अपीलांट का कब्जा काशत चला आ रहा है। उक्त आराजी अपीलांट की कब्जे काशतकारी खातेदारी की आराजी है तथा अवाप्ति से मुक्त है। रैस्पोडेन्ट नगर विकास न्यास अलवर ने न्यास बैठक दिनांक 10.08.2000 में उक्त योजनाओं को ड्राफ्ट करने का निर्णय ले लिया एवं डिनोटिफाईड कराने हेतु दिनांक 12.04.2001 को राज्य सरकार को पत्र लिखा जा चुका है। जिसकी पुष्टि नगर विकास न्यास अलवर के पूर्व पत्रांक 120/01 दिनांक 12.04.2004 से होती है। रैस्पोडेन्ट नगर विकास न्यास अलवर का पत्रांक 2437/14 दिनांक 07.10.2014 से स्पष्ट है कि रैस्पोडेन्ट द्वारा अवाप्ति की बाबत डिनोटिफाईड होने से पूर्व किसी प्रकार की कोई मुआवजा राशि नहीं दी गई है। राज्य सरकार ने सम्पूर्ण योजना को ही डिनोटिफाईड कर दिया। इतने लम्बे अन्तराल बाद विधि विरुद्ध तरीके से विवादित नामान्तरण स्वयं के नाम दर्ज कराना कानूनन गलत है। नगर विकास न्यास अलवर द्वारा दिनांक 16.10.2004 को सांध्य ज्योति समाचार पत्र में विज्ञापित प्रकाशित कराई गई थी कि रोहणी बहुउद्येशीय योजना व एम आई योजना की भूमि को अब नगर विकास न्यास अलवर अवाप्त नहीं करना चाहता है। यदि किसी खातेदार को आपत्ति हो तो विज्ञापित प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर आक्षेप प्रस्तुत करें। अपीलांट को अपनी भूमि अवाप्ति से मुक्त करने बाबत कोई आपत्ति नहीं थी इसलिए आपत्ति पेश नहीं की गई। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरुद्ध तरीके से इंतकाल दर्ज कर दिया। इंतकाल दर्ज करने के पूर्व अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। यह इंतकाल अवाप्त शुदा भूमि के अवॉर्ड के आधार पर दर्ज व स्वीकार किया गया। अपीलांट ने अभी तक आराजी का मुआवजा प्राप्त नहीं किया है। यह आराजी रोहिणी नगर आवास योजना के लिए प्रस्तावित थी। परन्तु राज्य सरकार द्वारा इसे अवाप्ति से मुक्त कर दिया गया। निरस्त एवं शून्य दस्तावेज के आधार पर इंतकाल दर्ज नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार द्वारा परिपत्र दिनांक 05.12.2011 के जरिये रामस्ता जिला कलक्टरों एवं

अतिरिक्त जिला कलक्टर

उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 24(2) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अधीन आरंभ की गई भूमि अर्जन की कार्यवाहियों के किसी मामले में जहां तक उक्त धारा 11 के अधीन इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख के पांच साल के बराबर या उससे अधिक पूर्व अधिनिर्णय (अवॉर्ड) किया गया है किन्तु भूमि का भौतिक कब्जा नहीं लिया गया है या प्रतिकार का संदाय नहीं किया गया है वहां उक्त कार्यवाहियों के बारे में यह समझा जायेगा कि वह व्यपगत (Lapse) हो गयी और समुचित सरकार यदि ऐसा चाहती है तो वह इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि अर्जन की कार्यवाहियां नये सिरे से आरंभ करेगी। हस्तगत प्रकरण में अवॉर्ड में वर्णित अनुसार प्रतिकार का भुगतान काश्तकार को करने अथवा रैफरेंस करने एवं भौतिक कब्जा प्राप्त करने बाबत नगर विकास न्यास अलवर द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त वर्णित परिपत्र के अनुसार वह व्यपगत (Lapse) हो चुका है। अतः अपील अपीलांत विवादित आराजी खसरा नम्बर 70/0.23 है0, 90/1.68 है0, 92/0.32 है0 एवं 98/0.41 है0 वाके ग्राम बेलाका तहसील अलवर राज0 स्वीकार किये जाने योग्य है।

उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांत स्वीकार की जाती है। तहसीलदार अलवर के आदेश दिनांक 03.01.2013 जिसकी पालना में इंतकाल संख्या 363 वाके ग्राम बेलाका तहसील अलवर में अपीलांत का खसरा नम्बर 70/0.23 है0, 90/1.68 है0, 92/0.32 है0 एवं 98/0.41 है0 जिसका वह खातेदार है जो अवॉर्ड में दर्शाये गये है की हद तक निरस्त किया जाता है। शेष खसरा नम्बर में इंतकाल यथावत रहेगा। निर्णय की प्रति तहसीलदार अलवर को उनके रिकॉर्ड के साथ भिजवायी जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 29-05-2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

moh
27/5/19
(भगवत सिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राजस्थान)

